

13/1/25

बार - बार आवाज दिलवाये जाने  
पर भी ना हो अपीलान्त एवं ना  
ही उनके अधिभाषक दफ्तर अदालत  
आये। अतः पञ्जाब अदम दायरी एवं  
अदम देखी में रबाहिय की जाती  
है। पञ्जाब फैसल सुमार की जाकर  
नम्बर से मय की जावे, बाद जावे  
दरिबल इफ्तर है।

मू प्रबन्ध अधिकारी  
को  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
भरतपुर (राज.)